

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं० 92/1-13(13) देहरादून दिनांक, 21 मार्च, 2018

पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक क-889/1-12(8) दिनांक 08-11-2017 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 21-11-2017 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों पर निम्नलिखित प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेविल 6 के कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 44,900-1,42,400 वेतन मैट्रिक्स लेविल 7 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्रीमती लज्जा	निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून	प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, देहरादून
2	श्रीमती गंगा आर्या	निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर	निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर
3	श्रीमती लक्ष्मी रानी जोशी	प्र०व० तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर	प्र०व० अति०भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर

1. उक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 17-02-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अप्रेस्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों को प्रत्येक दशा में दिनांक 02-04-2018 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरोक्त तैनाती स्थल के लिए कार्यमुक्त कर देवे और यदि आवश्यकता पड़े तो "एक तरफा" अवमुक्त किया जाये।

3. उक्त के बावजूद संबंधित कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

4. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अर्थात् 05-04-2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

5. जिन कार्मिकों को इस पदोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान कार्यालय/स्थल में ही तैनाती दी जा रही है, उन कार्यालयों में पद रिक्त न होने या अन्यथा की दशा में उनका स्थानान्तरण/तैनाती यथाआवश्यकता स्थानान्तरण नीति अनुसार किये जाने बावत विचार किया जायेगा।

(जय राज) 21/03/18

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं० 92 (1)/1-13(13) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(जय राज) 21/03/18

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड, देहरादून।